

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्था.निर्वा.) जिला हरदा

क्रमांक/ 349/319/स्था.निर्वा./2018

हरदा दिनांक ...6/06/2018

:: निविदा सूचना ::

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय स्थानीय निर्वाचन शाखा जिला हरदा मे निर्वाचन से संबंधित निष्प्रयोजित गोपनीय कागजातों की श्रेडिंग द्वारा टुकड़े कर विक्रय किया जाना है जिसका सफेद रंग के कागज का अनुमानित वजन 07 से 08 क्विंटल ,भूरा रंग के कागज का वजन 02 से 03 क्विंटल एवं अन्य रंग के कागज जिसका वजन 01 क्विंटल अथवा कम या अधिक भी हो सकता है ।

अतः रद्दी कागज के व्यापारियों एवं मीलों के अधिकृत व्यापारियों से जो कि उपरोक्तानुसार रद्दी कागज क्रय करना चाहते है । वे अपनी सीलबंद निविदायें दिनांक 29/06/2018 तक अपराह्न 3:00 बजे तक कलेक्टर कार्यालय (स्थानीय निर्वाचन शाखा कक्ष क्रमांक 31) जिला हरदा मे प्रस्तुत कर सकते है ।

निर्धारित दिनांक एवं समय तक प्राप्त निविदायें उपस्थित निविदाकारों के समक्ष उसी दिनांक अर्थात 29/06/2018 को सायं 4:30 बजे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा खोली जावेगी ।

निविदा प्रारूप,शर्तें एवं अन्य जानकारियां इस कार्यालय से कार्यालयीन समय मे दिनांक 29.06.2018 तक राशि रूपये 200/- दो सौ रु.मात्र जमा कर प्राप्त की जा सकेगी । निविदा प्रपत्र इस कार्यालय के नियत प्रारूप पर ही स्वीकार की जावेगी । इसके साथ ही जिले वेबसाईट www.harda.nic.in से भी आवेदन पत्र व अन्य जानकारी डाउनलोड की जा सकेगी । डाउनलोड किये गये आवेदन के साथ साथ 200/- (दो सौ रूपये) का डी.डी. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) हरदा के नाम से देय होगा,संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
(कले.महो.हरदा द्वारा अनुमोदित)

पृ.क्र./ 349/319/स्था.निर्वा./2018

प्रतिलिपि :-

- 01.सचिव,मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 02.आयुक्त जनसंपर्क जनसंपर्क भवन बाणगंगा रोड,भोपाल की ओर अतिरिक्त प्रतियों में संलग्न कर तीन समाचार पत्रों मे प्रकाशन हेतु प्रेषित ।
- 03.आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 04.कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जिला.....की ओर प्रेषित । कृपया अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने का कष्ट करें ।
- 05.अनुविभागीय अधिकारी सर्व जिला हरदा की ओर सूचनार्थ । अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने का कष्ट करें ।
- 06.तहसीलदार सर्व जिला हरदा की ओर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु प्रेषित ।
- 07.डी.आई.ओ. एन.आई.सी हरदा की ओर प्रेषित कर लेंख है कि हरदा जिले की वेबसाईट पर उक्त निविदा दर्ज करावे ।

(प्रियंका गोयल)

संयुक्त कलेक्टर

एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी

(स्था.निर्वा.)जिला हरदा

हरदा दिनांक ...6/06/2018

संयुक्त कलेक्टर
एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी

(स्था.निर्वा.)जिला हरदा

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्था0निर्वा0) जिला हरदा

रद्दी विक्रय हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र जारी दिनांक
निविदा फार्म क्रमांक
मूल्य राशि रु. 200 / -
एम.पी.टी.सी.रसीद क्रमांक / डी.डी.क्रमांक

01. निविदादाता संस्था का नाम :-
02. निविदादाता संस्था का पता :-
03. निविदादाता का मोबाईल नम्बर:-
04. संस्था का अधिकृत दूरभाष / फैंक्स / ई-मेल :-
05. निविदादाता संस्था का बैंक का विवरण:-
06. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ जमा :-
- कराई गई प्रतिभूति राशि का विवरण
07. सफेद रद्दी कागज क्रय करने हेतु प्रति क्विंटल दर :-
08. सफेद रद्दी कागज क्रय करने हेतु प्रति किलोग्राम दर :-
09. ब्राउन रद्दी कागज क्रय करने हेतु प्रति क्विंटल दर :-
10. ब्राउन रद्दी कागज क्रय करने हेतु प्रति किलोग्राम दर :-
11. अन्य रंग की रद्दी कागज क्रय करने हेतु प्रति क्विंटल दर :-
12. अन्य रंग की रद्दी कागज क्रय करने हेतु प्रति किलोग्राम दर :-

हस्ताक्षर निविदाकार

निविदा शर्तें :-

01. प्रत्येक निविदा सील बंद लिफाफे में हो, लिफाफे पर स्वच्छ अक्षरों में "गोपनीय प्रतिबंधित मिसलेनियस रद्दी कागजों की दरें" लिखा होना चाहिये ।
02. प्रत्येक निविदाकार को निविदा के साथ 15,000/- (पंद्राह हजार रु.) की एफ.डी.(राष्ट्रीयकृत बैंक की) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन जिला हरदा के नाम से प्रतिभूति के रूप में संलग्न करना होगा । अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी ।
03. जो निविदायें निर्धारित प्रारूप में निर्धारित दिनांक एवं समय तक प्राप्त होगी, केवल उन्ही पर विचार कर निर्णय लिया जावेगा ।
04. सफल निविदाकार को स्वयं के खर्च पर ढुलाई व अन्य कार्य कराना होगा ।
05. कार्यालय द्वारा दी गई छोटी बडी जैसी भी कतरन होगी, वह उसे उठाना होगी । इसके अतिरिक्त यदि कुछ कागज जो कि श्रेडिंग नहीं हो सके उन्हे उठाने से पूर्व स्वयं के खर्च से श्रेडिंग कराना हों जो नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष कलेक्टोरेट परिसर में ही श्रेडिंग करना होगी ।
06. सफल निविदाकार को रद्दी कागज तोलने के लिए शासन द्वारा मान्य बाजार में प्रचलित तराजू (कांट-बाट) अथवा इलेक्ट्रानिक तोल काटे की व्यवस्था करना होगी लीवर वाली तराजू स्वीकार नहीं की जावेगी ।
07. किसी भी निविदा को बिना कोई कारण दर्शाये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन जिला हरदा को होगा । इस संबंध में कोई कानूनी अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा ।
08. निविदा की दरें समान होने एवं उचित दरें प्राप्त न होने पर निगोशिएशन कर दरें स्वीकृत की जावेगी, जो समान दर वाले निविदाकारों को मानना होगा ।
09. निगोशिएशन उपरांत उचित दरें प्राप्त नहीं होने की दशा में निविदाएं अस्वीकृत कर पुनः निविदा आमंत्रित करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन जिला हरदा का रहेगा । जिस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी ।
10. सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति व स्वीकृत दर से लिखित में सूचना देकर अवगत कराया जावेगा । तथा सूचना में उल्लेखित अवधि के अन्दर श्रेडिंग कर रद्दी तुलाई कर उठाना होगी ।
11. सफल निविदाकार द्वारा निर्धारित अवधि में रद्दी न उठाने पर जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी एवं दूसरे क्रय निविदाकार को माल सौंपा जावेगा तथा जो हानि होगी उसकी भरपाई प्रथम सफल निविदाकार से बतौर भू राजस्व वसूल की जावेगी ।
12. निविदा में सम्मिलित होने वाली असफल फर्मों को जमा अमानत राशि जब तक वापस नहीं की जावेगी जब तक की सफल निविदाकार विक्रित माल का उठाव नहीं कर लेता ।
13. स्वीकृत दर वित्तीय वर्ष 2019-2020 तक मान्य होगी ।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन जिला हरदा का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा । इस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी ।
15. इस कार्यालय से क्रय की गई रद्दी का उठाव करने के उपरांत संबंधित फेक्ट्री से रद्दी गलाई जाने का प्रमाण पत्र सात दिवस के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

संयुक्त कलेक्टर
जिला हरदा